UPHR010086042025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई

उपस्थितः रीता कौशिक, एच.जे.एस.

(जे०ओ०कोड नं० यू०पी० 5728)

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-3753/2025</u>

राज पाण्डे पुत्र राजेश पाण्डे निवासी ग्राम किलकिली थाना पाली जिला हरदोई।

----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य ----------विपक्षी/अभियोगी।

<u>दिनांकः- 24.12.2025</u>

1- यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त राज पाण्डे की ओर से मुकदमा अपराध सं०-207/2025, धारा-109(1), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3/5/27 आर्म्स एक्ट, थाना पचदेवरा, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अशोक कुमार दीक्षित पुत्र प्रेमबिहारी दीक्षित निवासी ग्राम वासितनगर थाना शाहाबाद हरदोई का निवासी है। उसका पुत्र पंकज दीक्षित व भतीजा अनुराग दीक्षित आज दिनांक 05.11.2025 को समय करीब 11.45 बजे सुबह गर्रा नदी स्नान के लिए जा रहे थे। वहाँ पर पहले से घात लगाये बैठे राज पाण्डेय व सौरभ पाण्डेय पुत्र गण राजेश पाण्डेय निवासी ग्राम किलकिली थाना पाली, हरदोई व प्रदीप मिश्र पुत्र जय किशोर मिश्र निवासी ग्राम वासितनगर थाना शाहाबाद व दिलीप पाण्डेय पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम पिपरिया थाना पचदेवरा हरदोई ने एक राय होकर उसके पुत्र को मां-बहन की गन्दी-गन्दी गालियां देने लगे। उसके पुत्र के विरोध करने पर राज पाण्डेय व अन्य साथियों के साथ मार पीट करने लगे व राज पाण्डेय नाजायज तमंचा से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जो कि गोली उसके बेटे के दाहिने पेट में गोली लगी। तब उसका भतीजा अनुराज दीक्षित ने सूचना दी, तुरन्त वह अपने पुत्र को शाहाबाद चिकित्सालय ले गया। जहां से हरदोई सरकारी अस्पताल रेफर किया फिर हालत गंभीर होने के कारण हरदोई से KGMU लखनऊ रिफर कर दिया। घटना के समय शोर गुल पर तमाम लोग आ गये थे। जिन्होंने घटना को देखा विपक्षीगण तमंचा लहराते हुए भागे और गाली देते गए इस बार बच गये तो दुबारा जान से मार डालूंगा, कहकर मौके से भाग गये। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

4- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया कि मुकदमा का वादी बहुत ही राजनैतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है तथा उसी के चलते कथित वादी का पुत्र व भतीजा गांव व क्षेत्र में बहुत ही दहशत बनाकर रहते है। घटना से लगभग चार माह पूर्व वादी

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2025.12.24 16:10:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के पुत्र पंकज दीक्षित ने पैसे के लेन-देन को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर उसको गाली गलौज किया था तथा मार पीट की थी जिसकी सूचना उसने थाना शाहाबाद में दी थी तथा अप० सं० 500/2025 अन्तर्गत धारा- 115(2), 351(3) व 352 बी०एन०एस० के अन्तर्गत थाना शाहाबाद पर मुकदमा पंजीकृत कराया था तथा पुलिस द्वारा उसकी चोटो का डाक्टरी परीक्षण भी करवाया गया था। इसी बात से वादी व उसका पुत्र उससे रंजिश मानते थे तथा उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते थे और मुकदमा वापस न लेने पर फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी दी गयी थी। उसको झूठा फंसा दिया गया है। जबकि कथित घटना से उसका कोई लेन-देन नहीं है। वादी के पुत्र चोटहिल पंकज दीक्षित उससे बदला लेने की नियत से स्वयं ही अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। कभी-कभी गर्रा नदी में स्नान करने हेतु जाता था। इसी कारण वादी द्वारा षडयंत्र करके उक्त घटना को फर्जी तरीके से उसी स्थान पर दिखाया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और जो भी गवाह दिखाये गये है वह वादी के ही परिवार के है। घटना दिन के 11.45 बजे दिन की बतायी गयी है जबकि घटना स्थान पर उस समय काफी चहल पहल भी रहती है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त ही हुआ है। अतः जमानत की याचना की गयी।

5- जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर वादी मुकदमा के पुत्र पंकज दीक्षित को मां-बहन की गालियां देते हुए उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दी जिसकी गोली उसके दाहिने तरफ पेट में लगी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6- जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7- पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर वादी मुकदमा के पुत्र पंकज दीक्षित को मां-बहन की गालियां देते हुए उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दी जिसकी गोली उसके दाहिने तरफ पेट में लगी। चोटहिल पंकज दीक्षित की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटे पायी गयीं-

1. L/W 1 x 1 cm x depth not proved present on letral aspect of right side chest. K.U.O Adv. X-ray.
2. L/W 7 x 2 cm x depth not proved present on right side chest 11 cm below right nipple. K.U.O Adv. X-ray. चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उक्त दोनों चोटे आग्नेयास्त्र से आना बताया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त की अभिरक्षा से इस घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये।

8- मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त

का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ऐसा दशा में आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राज पाण्डे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 24.12.2025

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।